भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1669

मंगलवार, 09 मार्च, 2021/ 18 फाल्गुन, 1942 (शक)

महंगाई भत्ते का रोका जाना

1669. श्री नारण भाई जे. राठवा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक रोके जाने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से पहले बहाल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते की तीन किस्तों के लिए पात्र नहीं हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इन किस्तों को भी जारी करेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख) कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट को देखते हुए, सरकार ने 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की देय तीन किस्तों को रोकने का निर्णय लिया है। इससे बचाई गई 37530.08 करोड़ रुपए की राशि से कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी।

(ग) जब कभी 01.07.2021 से देय महंगाई भत्ते की आगामी किस्ते जारी करने का निर्णय लिया जाएगा, 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से प्रभावी महंगाई भत्तों की दरों को प्रत्याशित प्रभाव से बहाल किया जाएगा और 01.07.2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दरों में मिला दिया जाएगा।

*****

Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

Rajya Sabha
Unstarred Question No. 1669
To be answered on Tuesday, 9th March, 2021
Phalguna 18, 1942 (Saka)

Freezing of DA

1669: Shri Naranbhai J. Rathwa:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

a) whether freezing of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees/pensioners till July, 2021 has subjected them to undue hardship;

b) if so, the reasons for not restoring DA to Central Government Employees and pensioners before July, 2021; and

c) whether Central Government employees and pensioners are not entitled to three installments of DA and, if so, whether Government would also release these installments and, if not, reasons therefor?

Answer

Minister of State in the Ministry of Finance
(Shri Anurag Thakur)

(a,& b) In view of the crisis arising out of COVID-19 pandemic, the Government has decided to freeze three installments of Dearness Allowance and Dearness Relief to Central Government employees and pensioners due from 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021. The amount Rs.37530.08 crores saved on this account will help to tide over the economic impact of COVID-19 pandemic

(c) As and when the decision to release the future installments of Dearness Allowance due from 01.07.2021 is taken, the rates of DA as effective from 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021 will be restored prospectively and will be subsumed in the cumulative revised rates effective from 01.07.2021.

****